न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 120/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मुकेश पुत्र पूराराम जाति सेठिया गुरूडा निवासी मुण्डवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1.राज.सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा। 2.पटवारी हल्का, मुण्डवा।

उपस्थिति :–
1. श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक:30.07.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 80/2017 सरकार बनाम पूराराम में निर्णय दिनांक 29.07.17 के तहत मौजा मुण्डवा के खसरा नं. 1561 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. श्मसान भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.03.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 05.04.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 80/17 सरकार बनाम पूराराम की पत्रावली की फोटोप्रति, पटटा की फोटोप्रति, नगरपालिका मंडल मुण्डवा मुण्डवा से जारी NOC की फोटोप्रति तथा राशन कार्ड की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए। दौराने कार्यवाही अपीलांट द्वारा दिनांक 20.06.19 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त भूमि को लेकर सिविल न्यायालय मे वाद लंबित होने से प्रकरण हाजा की सुनवाई सिविल न्यायालय के मूल वाद के निर्णय तक स्थगित रखा जाना चाहिये। जिसको प्रकरण के अंतिम बहस के साथ ही निस्तारण करने का विनिश्चिय दिनांक 18.07.19 को किया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो पक्षकार बनाया गया, न ही नोटिस दिया गया, न ही प्रकरण की कोई सूचना तक दी गई, ऐसी दशा मे अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य, सबूत व सुनवाई के अवसर से वंचित हुआ। बिना कब्जे के पूराराम के विरूद्व कार्यवाही की गई, जबकि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर पुरातन समय से कब्जा है, जिसके आधार पर अपीलांट के हक मे नगरपालिका मंडल मुण्डवा द्वारा पटटा जारी किया गया है, जो दिनांक 19.10.16 को जरिये पुराने कब्जे के नियमन के आधार पर जारी किया गया है, जिसकी पत्रावली सं. 2/15 वर्ष 2016–17 है तथा नगरपालिका मंडल मुण्डवा द्वारा 111.11 वर्गगज वादग्रस्त भूमि का पटटा अपीलांट के पक्ष मे जारी किया गया व लीज राशि रू. 15167/– भी जमा करवा दी गई, उक्त पटटा विलेख का पंजीयन भी उप पंजीयक कार्यालय मुण्डवा मे पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 64 पृष्ठ सं. 171 क्रम सं. 2016004180 पर पंजीबद्व किया गया। इस प्रकार यह भी स्थिति स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि का पटटेधारी, लीजधारी व हितबद्व व्यक्ति था, जिसे पक्षकार बनाये बिना निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, इस कारण अपीलांट को निर्णय जैर अपील की कोई जानकारी पूर्व मे किसी भी माध्यम से नही हो सकी। निर्णय जैर अपील दिनांक 28.07.17 की जानकारी अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलांट के मकान पर दिनांक 12.03.18 को तहसीलदार मुण्डवा द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिये काला चिन्ह मार्क करने आये तथा तहसीलदार मुण्डवा द्वारा एलानिया धमकी दी

अपर कलक्टर, नागौर

गई कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तुम्हार निर्माण तोड देगे, नही तो चुपचाप यहां से भाग जाओ, तब सर्वप्रथम अपीलांट को यह जानकारी हुई कि अपीलांट को बिना सुने व बिना नोटिस दिये दिनांक 29.08.17 को अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित कर दिया गया, तब अपीलांट ने दिनांक 14.3.18 को तहसील कार्यालय मे नकल के लिये आवेदन प्रस्तुत किया एवं उसी दिन नकल प्राप्त की एवं अविलंब न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने मे हुई देरी सदभाविक, युक्तियुक्त, सम्यक व आवश्यक कारणो से हुई देरी है, जो जानकारी के अभाव मे साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किये जाने से हुई देरी है, जो क्षमा योग्य है। जिसे क्षमा कर अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार की जाने का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–वकील अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.19 की ओर हमारा ध्यान दिलाया तथा तर्क किया कि विवादित भूमि को लेकर सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन है तथा सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण मे स्थगन आदेश भी जारी किया जा चुका है। इसलिये सिविल न्यायालय के मूल वाद के निर्णय तक प्रकरण हाजा की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये।

{2}(II)–अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नही दिया एवं एकतरफा रूप से अपीलांट का प्रकरण निस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अल्प समय मे ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जैर अपील पारित किया है। इस कारण से निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(III)–विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि जिन व्यक्तियो के विरूद्व किसी प्रकार के आदेश व कार्यवाही की जाती है, उन्हे सुनवाई के लिये नोटिस जारी किये जावे, वर्तमान प्रकरण मे अपीलांट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस तक जारी नही किया गया, अपीलांट के पिता पूराराम के विरूद्व गलत रूप से नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि वादग्रस्त भूमि का स्वत्व व कब्जा अपीलांट मे निहित है। फिर भी अपीलांट के पिता के विरूद्व वादग्रस्त भूमि के संबंध मे जो कार्यवाही की गई है, वह विधि की दृष्टि से गलत व त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपील के माध्यम से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट व मौके का नजरी नक्शा बनाकर पेश किया गया है, उसमे कही भी यह अंकन नही किया गया है कि कितने भू भाग पर अपीलांट के पिता पूराराम ने अतिक्रमण किया है एवं न ही किस दिशा मे, कितने नाप पर अतिक्रमण किया है, इस बाबत मौका रिपोर्ट मे किसी प्रकार का अंकन नही किया गया है, इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यंत ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है क्योकि प्रकरण मे न तो अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही जवाब हेतु अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट के पिता पूराराम का कब्जा न होते हुए भी अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय है, यह निर्णय पूर्व मे ही टाईप किया हुआ है, इससे मात्र खाली स्थानो की पूर्ति के लिये नाम व खसरा नं. व जुर्माने का अंकन किया गया है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व मे ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियो के टारगेट की रिकार्ड मे पूर्ति के लिये यह निर्णय जैर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये, मगर प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक

अपर कलक्टर, नागौर

विवेक का इस्तेमाल किये बिना व अपने मे निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

{2}(VIII)–इस संपूर्ण प्रकरण मे अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर स्वतंत्र, निरपेक्ष व पृथक कब्जा होते हुए तथा स्वत्व निहित होते हुए तथा अपीलांट के पिता पूराराम का कोई कब्जा नही होने के बावजूद भी अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा नोटिस दिये बिना व साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा व गलत रूप से बिना कब्जे के पूराराम के विरूद्व कार्यवाही की गई, जबकि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर पुरातन समय से कब्जा है, जिसके आधार पर अपीलांट के हक मे नगरपालिका मण्डल मुण्डवा द्वारा पटटा जारी किया गया है, जो दिनांक 19.10.16 को जरिये पुराने कब्जे के नियमन के आधार पर जारी किया गया है, जिसकी पत्रावली सं. 2/15 वर्ष 2016–17 है तथा नगरपालिका मंडल मुण्डवा द्वारा 111.11 वर्गगज वादग्रस्त भूमि का पटटा अपीलांट के पक्ष मे जारी किया गया व लीज राशि रू. 15167/– भी जमा करवा दी गई, जो रसीद सं. 1054 दिनांक 19.10.16 के द्वारा जमा करवायी गई, उक्त पटटा विलेख का पंजीयन भी उप पंजीयक कार्यालय मुण्डवा मे पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 64 पृष्ठ सं. 171 क्रम सं. 2016004180 पर पंजीबद्व किया गया। इस प्रकार यह भी स्थिति स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है तथा नगरपालिका मुण्डवा के क्षेत्राधिकार मे वार्ड नं. 15 मे स्थित है तथा नगरपालिका मण्डल मुण्डवा मे निहित भूमि है, जिसका वेध टाइर्टल अपीलांट मे निहित है अपीलांट का पुरातन कब्जा है, फिर भी विधि विरूद्व व क्षेत्रकारिता से परे जाकर अपीलांट के पिता पूराराम के नाम कार्यवाही खोलकर संपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, जो सरसरी तौर पर व अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया होने से निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IX)–अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो पक्षकार बनाया गया, न ही नोटिस दिया गया, न ही प्रकरण की कोई सूचना तक दी गई, ऐसी दशा मे अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य, सबूत व सुनवाई के अवसर से वंचित हुआ है। बिना कब्जे के पूराराम के विरूद्व कार्यवाही की गई है, जबकि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर पुरातन समय से कब्जा है, जिसके आधार पर अपीलांट के हक मे नगरपालिका मण्डल मुण्डवा द्वारा पटटा जारी किया गया है, जो दिनांक 19.10.16 को जरिये पुराने कब्जे के नियमन के आधार पर जारी किया गया है, जिसकी पत्रावली सं. 2/15 वर्ष 2016–17 है तथा नगरपालिका मंडल मुण्डवा द्वारा 111.11 वर्गगज वादग्रस्त भूमि का पटटा अपीलांट के पक्ष मे जारी किया गया व लीज राशि रू. 15167/– भी जमा करवा दी गई, जो रसीद सं. 1054 दिनांक 19.10.16 के द्वारा जमा करवायी गई, उक्त पटटा विलेख का पंजीयन भी उप पंजीयक कार्यालय मुण्डवा मे पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 64 पृष्ठ सं. 171 क्रम सं. 2016004180 पर पंजीबद्व किया गया। इस प्रकार यह भी स्थिति स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि का पटटेधारी, लीजधारी व हितबद्व व्यक्ति था, जिसे पक्षकार बनाये बिना पारित किया गया निर्णय जेर अपील पक्षकारो के असंयोजन व कुसंयोजन के आधार पर तथा व्यथित पक्षकार को सुने बिना पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि आराजी भूमि पर अपीलांट का कब्जा नही होकर उसके पिता पूराराम द्वारा मौजा मुण्डवा में स्थित श्मसान भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर पूराराम को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे पूराराम उपस्थित भी हुआ है तथा उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर पूर्वजो के समय से कब्जा होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट का आराजी भूमि पर कोई क्लेम हो ऐसा नही माना जा सकता है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के पिता पूराराम को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये। अपीलांट के पिता द्वारा आराजी भूमि के संबंध मे ग्राम पंचायत का पटटा सं. दिनांक 30.11.75 बेनाम भंवरू पुत्र नाथूराम की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलांट द्वारा आराजी भूमि पत्रावली सं. 2/15 वर्ष 2016–17 के द्वारा नियमन होना बताते हुए विलेख दिनांक 20.10.16 की प्रति प्रस्तुत की गई है। जब पहले से ही आराजी भूमि का 30.11.75 को पटटा जारी हो चुका था तो पुनः नगरपालिका द्वारा नियमन का पटटा जारी करवाया जाना उचित प्रतीत नही होता है तथा इस पटटे के पडोस मे भी सिवाय चक भूमि दर्शायी गयी है। जिससे भी आराजी भूमि आबादी की नही होकर श्मशान भूमि होना ही प्रकट करती है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दीवानी विविध प्रकरण मे आदेश दिनांक 03.01.19 मे प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एवं सम्यक तौर पर विधि की प्रक्रिया का

अपर कलक्टर, नागौर

पालन करे सक्षम आदेश पारित किये बगैर वादग्रस्त जायदाद से बेदखल नही करने के आदेश पारित किये गये है। जिससे वर्तमान कार्यवाही पर कोई रोक नही है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। आराजी भूमि को लेकर वर्तमान कार्यवाही स्थगित की जाने को लेकर सिविल न्यायालय द्वारा कोई रोक लगायी गयी हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार रेकर्ड पर नही है। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मुण्डवा के खसरा नंबर 1561 रकबा 0.05 बीघा श्मसान भूमि पर अपीलांट के पिता पूराराम का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के पिता पूराराम को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा वो अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी जवाबदेही भी प्रस्तुत की है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन श्मसान है, जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश की पालना करते समय माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के दीवानी विविध प्रकरण सं. 52/18 मुकेश सेठिया बनाम राज. सरकार मे पारित आदेश दिनांक 03.01.19 के प्रकाश मे सभी दस्तावेज एवं प्रकरण की वर्तमान स्थिति को अभिलेख पर लेते हुए यथोचित कार्यवाही करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर